ISSN 2395-051X

भगतसिंह एवं उनका क्रान्तिकारी समाजवाद

डॉ. भगवानदास अहिरवार
प्राचार्य
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

सारांश -

उदार बौद्धिकवाद पर आधारित समाजवाद, 20वीं शताब्दी की ऐसी आर्कषक विचारधारा थी, जिसका अनुसरण करना दुनिया का हर नव-युवक अपना आदर्श मानता था, इसी समाजवाद के वैश्विक राजनीतिक वातावरण के बीच क्रान्तिकारी भगतसिंह का जन्म, पालन-पोषण तथा शिक्षा दीक्षा हुई थी। भगतसिंह का परिवार स्वयं अपने आप में सामाजिक सुधारवादी था। दादा सरदार अर्जुन सिहं एवं पिता सरदार हरिकिशन सिंह आर्यसमाजी थे। कहा जाता है कि हरिकिशन सिंह जी का विवाह विद्यावती जी के साथ सिक्ख होने के बावजूद भी आर्यसमाज पद्धति से हुआ था, विवाह के मंत्र आर्यसमाजी पंडित के साथ-साथ मंडप में बैठे स्वयं सरदार हरिकिशन सिंह जी ने भी पढ़े थे। भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह अपने क्रान्ति संबंधी कार्यों की वजह से भगतसिंह के जन्म के पूर्व से ही अंग्रेजी हुकूमत की आँखों में धूल झोककर फरारी में जर्मनी चले गए थे। इसी तरह से सुधारवादी परिवार में जन्म लेकर भगतसिंह ने भी परिवर्तन सुधार की राह चुनी थी। सन् 1920 में महात्मा गांधी द्वारा आव्हान् किए गए असहयोग आंदोलन के समय भगतसिंह ने भी बीच में ही ब्रिटिश सरकार द्वारा संचालित स्कूल में अध्ययन छोड़ दिया था, विदेशी वस्त्रों को परित्याग कर, उसने भी अपने आसपास के गांवों से विदेशी वस्त्रों को इकट्ठा कर उनकी होली जलाई थी, इस समय महात्मा गांधी द्वारा अचानक असहयोग आंदोलन स्थिगित किए जाने की घोषणा सुनकर वह भी सन्न रह गया था। बालक भगतसिंह की समझ में ही नहीं आ रहा था, कि आगे क्या किया जाए? उसके सम्मुख दो ही राहें थीं, प्रथम चरखा पर सूत काटकर कांग्रेस के सिद्धांतों का प्रचार किया जाए अथवा ब्रिटिश सत्ता को निर्मल करने के वास्ते सशस्त्र चुनौती दी जाए? भगतसिंह ने अपनी बाल्य आँखों के सामने वह क्षण भी देखे थे, जब उसकी गर्भवती मौसी जो जलियाँवाला नरसंहार के दिन अपनी पुत्री को ढूंढ़ने निकलीं थी तथा वापस लौटने पर किस प्रकार पुलिसवालों ने गर्भवती होने के बावजूद उसे लाठी एवं पैरों से घायल कर हाथ के बल रेंगने को मजबूर किया था, इसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। उसने अपनी आँखों के सामने ही रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने जुलूस के रूप में अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर के बंगले की ओर जाती निहत्थी भीड़ को पुलिस द्वारा बन्दूक की गोलियों से भूनते देखा था। इस गोली कांड का विरोध करने जलियाँवाला बाग में इकट्ठा हुई भीड़ पर रेजीनाल्ड डायर को गोलियों से नरसंहार करते हुए देखा था। एक जोशीला नौजवान यह सब अपनी आँखों के सामने कैसे देखा सकता था? फिर उसके घर का माहौल भी सुधारवादी था, अतः बालक भगतसिंह भी क्रान्ति की राह पर चल पड़ा।

मुख्य शब्द - भगत सिंह, समाजवाद, क्रांतिकारी, लोकतांत्रिक।

भगतसिंह की विचारधारा समाजवाद पर आधारित थी भगतसिंह के विचारों के संबंध में यह विचारशील तथ्य है कि आखिर भगतसिंह किस प्रकार की क्रान्तिकारी विचाराधारा रखते थे? उनका किस प्रकार के समाज निर्माण का स्वप्न था? इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए हमें भगतसिंह की स्कूली जीवनशैली पर विचार करना होगा। किशोरावस्था में भगतसिंह अपने मित्रों के साथ बैठकर 'डैनब्रीन' की "माई फाइट फॉर आयरिश फ्रीडम" मैजीनी गेरिबाल्डी की प्रेरणादायक जीवनियों; फ्रांस की राज्य क्रांति का इतिहास, वाल्टेयर एवं रूसों का समाज, 'अनारकिज़्म एवं देयर एसेज' आदि पुस्तकों का न केवल अध्ययन, वल्कि अमेरिकी गोरों के खिलाफ अमेरिकी नीग्रों के संघर्ष पर बनी 'अंकल टाइम' जैसी फिल्में भी देखते थे। इस तरह के साहित्य एवं फिल्मों के हर पहलू पर भगतसिंह अपने साथियों से विस्तृत विचार विमर्श करते थे, बहस करते थे, इन्हीं सब के अध्ययन के फलस्वरूप भगतसिंह में विचारों का सृजन हुआ था। उन विचारों का ध्येय था गरीबों, वंचितों, शोपितों की धनिकों, पूँजीपतियों एवं साम्राज्यवादियों से मुक्ति एवं जीविका के साधनों पर समानाधिकार अर्थात समाजवाद।

समाजवादी अवधारणा को भारत की धरा पर उतारने के लिए किए प्रकार व्याकुल थे, इसका अनुमान उनके इसी प्रारंभिक कार्य से लगाया जा सकता है कि जब 08 सितम्वर 1928 को भगतसिंह की इच्छा पर देश के भिन्न-भिन्न भागों में ब्रिटिश सरकार को सशस्त्र चुनौती दे रहे संगठनों व इनके अन्तर्गत काम कर रहे नवयुवकों को अखिल भारतीय स्तर पर संगठित कर उन्हें समान उद्देश्य के लिए काम करने के वास्ते एक छत तले लाने के लिए दिल्ली के पुराने किले में एक बैठक बुलाई गई थी, इस बैठक में भगतसिंह के आव्हान् पर उस बैठक में ही सभी संगठनों को संयुक्त कर उसका अखिल भारतीय संगठन का नाम 'Hindustan Socialist Democratic Army' रखा गया था,[1] मध्य भारत में जिस संगठन की छत्रछाया में भगतसिंह काम कर रहे थे, उसका नाम (हिन्दुस्तान प्रजातांत्रिक संघ) था अर्थात अपने पूर्ववर्ती संगठन में भगतसिंह जी ने समाजवादी (Socialist) शब्द जोड़कर इसे ही कायम रखना चाहा था।

भगतसिंह के इस दल-हिन्दुस्तान प्रजातांत्रिक समाजवादी सेना के उद्देश्य क्या थे? इन्हें 17 दिसम्वर 1928 को जे.पी. साण्डर्स की हत्या के बाद दूसरे दिन के सुबह-सुबह दीवारों पर दल द्वारा पर चिपकाए गए, पोस्टरों से ही जाना जा सकता है; पोस्टरों पर लिखा था, "इन्कलाब जिंदाबाद, क्रान्ति अमर रहे - हमें भी दुख होता है कि एक मनुष्य की हमें हत्या करनी पड़ी, लेकिन हमने जिसकी हत्या की है, वह मनुष्य ऐसे क्रूर एवं अन्यायी शासन का हिस्सा था, जिसको नष्ट करना बहुत जरूरी है, जिस मनुष्य की हत्या की गई है, वह हिन्दुस्तान के ब्रिटिश शासन का प्रतिनिधि था, ब्रिटिश शासन दुनिया का सबसे अत्याचारी शासन है, इसी दृष्टि से उसकी हत्या की गई है"[2] अगले पैरा में लिखा गया था कि, "मनुष्य के द्वारा मनुष्य के हो रहे शोषण को पूर्णतया समाप्त करना यही हमारा ध्येय है, क्रान्ति अमर रहे, इंकलाब जिंदाबाद।"[3] पोस्टरों में अंकित की गई उपर्युक्त भाषा से भगतसिंह का समाजवादी होना स्पष्ट हो जाता है।

स्पष्ट है कि भगतसिंह का समाजवाद का अभिप्राय था कि अत्याचारी, दमनकारी हुकूमतों को सशस्त्र क्रान्ति द्वारा उखाड़ फेंकना तथा मनुष्य के रूप में ब्रिटिश मुलाज़िमों, सामंतो, शोषकों, पूंजिपतियों द्वारा गरीबों, असहायों के शोषण को समाप्त करना।

इसी प्रकार जब 08 अप्रैल 1929 को सेन्ट्रल असेम्बली में पब्लिक सेटी बिल एवं इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स

बिल को वाइसराय द्वारा अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए पास कर तुरंत प्रभाव से क्रियान्वयन में लाए जाने की घोषणा के संबंध में सर जॉन सुअस्टर द्वारा वाइसराय की घोषणा किए जाते समय भगतसिंह एवं बटुकेश्वर दत्त द्वारा पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार बम फेंके जाने के तुरंत बाद जो लाल पर्चा हवा में लहराए गए उनमें लिखा था, ''इंकलाब जिंदाबाद-साम्राज्यवाद का विनाश हो, बहरों को सुनाने के लिए बमों की आवश्यकता है''।[4]

स्पष्ट है कि भगतसिंह का समाजवाद से अभिप्राय था निरंकुश, दमनकारी हुकूमतों को सशस्त्र क्रान्ति द्वारा उखाड़ कर ऐसे समतामूलक समाज व्यवस्था की स्थापना करना जिसमें मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण न हो, अर्थात सांमतों द्वारा कृषकों का, पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का, मालिकों द्वारा दासों का, जीवन अवरूद्ध न हो, वह इनसे स्वतंत्र हो, इस मेहनतकश वर्ग को भी वही अधिकार व सुविधाएँ मिले, वैसा ही जीवन जीने को मिले जैसा कि इस बुर्जुआ वर्ग को प्राप्त है।

भगतसिंह की समाजवादी क्रान्ति का मूल आधार मानवीय जीवन का संरक्षण, संवर्धन एवं उसका निर्बाध विकास था, उनकी इस परिकल्पना को उनकी इस कार्य प्रणाली से परखा जा सकता है कि जब सरदार भगतसिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने सेन्ट्रल असेम्बली में बम फेंका था वह दीवार पर फेंका था, न कि सदन के किसी अंग्रेज अथवा भारतीय सदस्य अथवा पदाधिकारी पर। सेन्ट्रल असेम्बली में जिन दो बमों का प्रयोग किया गया था, उनमें अमोनिया एवं पिकरिक एसिड इसीलिए नहीं भरा गया था, ताकि इसके धुँए से जन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर न पड़े, यदि उनका उद्देश्य सदन में बैठे सभी अंग्रेज सदस्यों एवं पदाधिकारियों को मौत की नींद सुलाना होता, तो वह बम में अमोनिया एवं पिकरिक एसिड मिला सकते थे, वह बम को दीवार पर न फेंककर बीच सदन में अथवा किसी भी सदस्यों एवं पदाधिकारी पर फेंक सकते थे, लेकिन उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इससे उनके इस विचार की पुष्टि होती है कि वे अपनी समाजवादी क्रान्ति में मनुष्यता के पक्षधर थे। आइए देखें हम कि उन्होंने इसी बम कांड के सिलसिले में न्यायालय में पेश किए जाने के समय तत्कालीन जज महोदय के समक्ष दिए गए बयान के कुछ अंशों को उद्धृत किया जाना आवश्यक है -

''न्यायाधीश महोदय! हमें मानवता से जितना प्रेम है, उतना तो आपको भी नहीं है। हमारे मन में मानव जीवन के प्रति अपार करूणा है। इसीलिए तो हमने अपने देशवासियों, अपने किसान-मजदूर, गरीब भाई-बहनों को अत्याचार की जंजीरों से बचाने के लिए असेंबली में बम विस्फोट किया है। सभाभवन के उपस्थितों में से किसी के भी प्रति हमारे मन में वैरभाव नहीं था। अगर वह होता तो हम सीधे उस व्यक्ति को निशाना बनाकर अचूक उसी पर फेंकते। हम शूअस्टर साहब को मार सकते थे, लेकिन हमने वह नहीं किया। खाली जगह पर बम फेंके हैं। पोटैशियम और पिकरिक एसिड न डालकर हमने बम फेंके हैं। हम मनुष्य को मारना ही नहीं चाहते थे।''[5]

भगतसिंह व उनके दल के संबंध में जो हमारे उस समय के राष्ट्रीय नेताओं की गलत धारणाएं थीं कि वह केवल बम-पिस्तौल का प्रयोग करने वाले हिंसाचारी व भटके हुए नव-युवक हैं, इसका भी जवाब देते हुए भगतसिंह ने न्यायालय के समक्ष कहा था कि ''हम जब 'इन्कलाब जिंदाबाद' का नारा लगाते हैं तब लोगों को लगता है कि हमारी क्रान्ति मात्र बम-पिस्तौलों पर, हिंसा पर आधारित है; व्यक्तिगत द्वेष की बुनियाद पर खड़ी है; लेकिन वैसी बात कतई नहीं है। हमारी क्रान्ति की धारणा इतनी तुच्छ कतई नहीं है। अत्याचारी शासन को ध्वस्त, नष्ट कर हम क्रान्ति करना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ ध्वस्थ करना, विनाश करना तो क्रान्ति नहीं है। उसके स्थान पर नव-निर्माण करती

है, नई कल्याणकारी व्यवस्था जो निर्माण करती है, वही सच्ची क्रान्ति होती है। हम प्राणपण से उसी तरह की घोषणा करते हैं। उसी क्रान्ति के नारे हम लगाते हैं।"[6]

"सबको अन्न देने वाला किसान आज दाने-दाने के लिए मोहताज हो रहा है। भुखमरी का शिकार हो रहा है। दुनिया को वस्त्र देने वाले जुलाहे सर्दी, धूप और बरसात में नंगे बदन घूम रहे हैं और अमीरों के लिए आलीशान, ऊँची-ऊँची इमारते बनाने वाले राजमिस्त्री, लुहार, मजदूर, गंदी झुग्गी-झोपड़ियों में असंख्य बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, तड़प रहे हैं। हम यह सब बदल देना चाहते हैं। उनपर अत्याचार करने वाले, उनका शोषण करने वालों का हम सर्वनाश करना चाहते हैं। और इसीलिए हम कहते है - साम्राज्यशाही मुर्दाबाद!"[7]

भगतसिंह ने थोड़ा रूककर अपने माथे से पसीना पौंछते हुए जज के समक्ष विनम्र भाव से पुनः कहा कि, "न्यायाधीश महोदय! हमें विश्वास है कि आप हमें कठोरतम दंड देंगे। अधिक-से-अधिक सजा देंगे। हम क्रान्तिकारियों ने अब तक यही अनुभव किया है। लेकिन हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि साम्राज्यवादी राजसत्ता एक-दो व्यक्तियों को मसल सकती है, नष्ट कर सकती है; लेकिन इससे उनके विचारों, सिद्धांतों और धारणाओं को नष्ट नहीं किया जा सकेगा। फ्रांस की लेटर्स डे कैंटपैट ओर वेस्टाइल्स की घटनाएं, फ्रेंच राज्यक्रान्ति को दबा नही सकीं। नष्ट नहीं कर सकीं।

"फांसी का फंदा और साइबेरिया की भयंकर खदानें रूसी क्रान्ति की ज्वालाओं को बुझा नहीं सकी। और रक्तरंजित रविवार आयरलैंड की आजादी के आंदोलन को रोक नहीं सके।

"महोदय! बहरों को सुनाई देने के लिए, उनको समय पर चेतना और चेतावनी देने के लिए असेंबली में हम लोगों ने बम की विस्फोटक आवाज को बुलंद किया है, यह तो हम स्वीकार कर रहे हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार की सजा हम हँसते-हँसते भुगतेंगे, क्योंकि हमारी तो पूरी जिंदगी ही क्रान्ति की बलिबेदी पर समर्पित हुई है। दिल के पलक पाँवड़े बिछाकर हम तो उसकी प्रतीक्षा कर रहे है। इन्कलाब जिंदाबाद।" "इन्कलाब जिंदाबाद"[8]

भगतसिंह के द्वारा न्यायालय में दिए गए उपर्युक्त वक्तव्य से उनकी समाजवादी अवधारणा की स्पष्टता के बारे में कोई संदेह नहीं रह जाता, यही नहीं अपनी समाजवादी धारणा की आस्था के क्रियान्वयन के लिए उन्होंने अपने आपको इसकी बेदी पर कुर्बान कर, इसे शाश्वत बनाने का उपलब्ध कोई अवसर नहीं जाने दिया। यही वजह है कि जब लाहौर षड्यन्त्र प्रकरण में उन्हें सुनाई गई फांसी की सजा के विरूद्ध, व ब्रिटिश प्रिवी काऊंसिल में कोई अपील ही नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब उनके वकील प्राणनाथ मेहता ने उन्हें बार-बार समझाया तो उन्होंने अपनी हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना दल की समाजवादी क्रान्ति की अवधारणा को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित करने के उद्देश्य से अपने वकील की सलाह को अपनी शर्त पर मानने के लिए सहमत हो गए। उन्हें महसूस हुआ कि कहीं प्रिवी काऊंसिल उनकी फांसी की सजा को आजीवन कारावास में न बदल दें, यदि ऐसा हुआ तो वह अपने इंकलाब को साकार करने के लिए अपने प्राणों के बलिदान से चूंक जाएंगे, अतः उन्होंने अपील के साथ-साथ एक पत्र भी लिखा था जिसके मुख्य अंशो को यहां उद्धृत करना प्रासंगिक होगा -

"आदरणीय महोदय,

उचित सम्मान के साथ हम नीचे लिखी बातें आपकी सेवा में रख रहे हैं :

भारत में ब्रिटिश सरकार के सर्वोच्च अधिकारी वाइसराय ने विशेष अध्यादेश जारी करके, लाहौर-षड्यंत्र अभियोग की सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण स्थापित किया, जिसने 7 अक्टूबर, 1930 को हमें फांसी का दंड सुनाया।

हमारे विरूद्ध सबसे बड़ा अभियोग यह लगाया गया है कि हमने सम्राट जॉर्ज पंचम के विरूद्ध युद्ध किया है। न्यायालय के इस निर्णय से दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं-प्रथम यह कि अंग्रेजों और भारतीय जनता के मध्य एक युद्ध चल रहा है। दूसरा यह कि हमने निश्चित रूप से उस युद्ध में भाग लिया है। अतः हम राजकीय युद्धबंदी हैं। यद्यपि इसकी व्याख्या में बहुत हद तक अतिश्योक्ति से काम लिया गया, तथापि यह कहे बिना नहीं रह सकते कि ऐसा करके हमें सम्मानित किया गया है।

हमारे विचारानुसार प्रत्यक्ष रूप से ऐसी कोई लड़ाई नहीं छिड़ी है और हम नहीं जानते हैं कि युद्ध छेड़ने से न्यायालय का क्या आशय है? हम यह कहना चाहते हैं कि युद्ध छिड़ा हुआ है और यह युद्ध तब तक चलता रहेगा, जब तक की शक्तिशाली व्यक्ति भारतीय जनता एवं श्रमिकों के आय के साधनों पर अपना एकाधिकार बनाए रखेंगे। चाहे ऐसे व्यक्ति अंग्रेज पूंजीपति, अंग्रेज शासक या भारतीय ही क्यों न हों?

उन्होंने परस्पर मिलकर एक लूट जारी कर रखी है। यदि भारतीय पूंजीपतियों द्वारा निर्धनों का खून चूसा जा रहा हो, तब भी इस परिस्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यदि आपकी सरकार कुछ नेताओं या भारतीय समाज के ठेकेदारों पर प्रभाव जमाने में असफल हो जाए; कुछ सुविधाएं मिल जाएं या समझौता हो जाए; उससे भी स्थिति नहीं बदल सकती। जनता पर इन बातों का प्रभाव बहुत कम पड़ता है।

इन बातों की हमें चिंता नहीं है कि एक बार फिर युवाओं को धोखा दिया गया है और इन बातों का भी भय नहीं है कि हमारे नेता-राजनीतिक नेता-पथभ्रष्ट हो गए हैं और वे समझौते की बातचीत में इन निरपराध, बेघर और निराश्रित बलिदानियों को भूल गए हैं, जिन्हें दुर्भाग्य से 'क्रान्तिकारी पार्टी' का सदस्य समझा जाता है। हमारे राजनीतिक नेता तो उन्हें अपना शत्रु समझते हैं, क्योंकि उनके विचार में वे हिंसा में विश्वास रखते हैं। हमारी वीरांगनाओं ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया है। उन्होंने बलिवेदी पर पतियों को भेंट किया; उन्होंने स्वयं को भी न्यौछावर कर दिया, लेकिन आपकी सरकार उन्हें 'विद्रोही' समझती है। आपके एजेंट भले ही झूठी कहानियां बनाकर उन्हें बदनाम कर दें और पार्टी की ख्याति को हानि पहुंचाने का प्रयास करें, परन्तु यह युद्ध तो चलता रहेगा।

हो सकता है कि यह युद्ध भिन्न-भिन्न दिशाओं में भिन्न-भिन्न स्वरूप ग्रहण करें। कभी युद्ध प्रकट रूप से ले ले, कभी गुप्त दिशाओं मे चलता रहें; कभी भयंकर रूप धारण कर ले, कभी किसान के स्तर पर जारी रहे; कभी यह युद्ध इतना भयानक हो जाए कि जीवन-मरण की बाजी लग जाए।

परिस्थिति चाहे कोई भी हो, उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। यह अब आपकी इच्छा है कि जिस परिस्थिति को चाहें चुन लें, लेकिन यह युद्ध चलता रहेगा। इसमें छोटी-छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। बहुत संभव है कि यह युद्ध भयंकर रूप ग्रहण कर ले। यह तब तक समाप्त नहीं होगा, जब तक कि समाज का वर्तमान ढांचा समाप्त नहीं हो जाता; प्रत्येक व्यवस्था में परिवर्तन या क्रान्ति नहीं हो जाती और सृष्टि में एक नवीन युग का सूत्रपात नहीं हो जाता।

निकट भविष्य में यह युद्ध अंतिम रूप से लड़ा जाएगा और तब यह दिखाई देने लगेगा कि साम्राज्यवाद और पूंजीवाद कुछ समय के मेहमान है।

यही वह युद्ध है, जिसमें हमने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया है। हम इसके लिए स्वयं पर गर्व करते हैं। हमारी सेवाएं इतिहास के उस अध्याय के लिए मानी जाएंगी जिसे यतींद्रनाथ दास और भगवतीचरण के बलिदानों ने विशेष रूप से प्रकाशमान कर दिया है। उनके बलिदान महान हैं।

जहां तक हमारे भाग्य का संबंध है, हम बलपूर्वक आपसे यह कहना चाहते है कि आपने हमें फाँसी पर लटकाने का निर्णय कर लिया हैं, आप ऐसा ही करेंगे।

आपके हाथों में शक्ति है और आपको अधिकार भी प्राप्त है, परंतु इस प्रकार आप 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' वाला ही सिद्धांत अपना रहे हैं और उसपर अटल हैं। हमारे अभियोग की सुनवाई इस वक्तव्य को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि हमने कभी कोई प्रार्थना नहीं की और अब भी हम आपसे किसी प्रकार की दया की प्रार्थना नहीं करते।

हम आपसे सिर्फ यही प्रर्थना करना चाहते हैं कि आपकी सरकार के ही एक न्यायालय द्वारा हमारे प्रति युद्धबंदियों जैसा व्यवहार किया जाए। फांसी देने के बजाय हमें गोलियों से उड़ा दिया जाए।

अब यह सिद्ध करना आपका काम है कि आपको उस निर्णय में विश्वास है, जो आपकी सरकार के ही एक न्यायालय ने दिया है। आप अपनी कार्यवाही द्वारा इस बात का प्रमाण दीजिए। हम आपसे विनयपूर्वक प्रार्थना करते है कि आप अपने सेना विभाग को आदेश दें कि हमें गोली से उड़ा देने के लिए एक सैन्य दस्ता भेजा जाए।[9]

इधर 04 मार्च 1931 को गांधी जी का तत्कालीन वाइसराय लार्ड इरविन के साथ समझौता हुआ, जिसे लेकर समूचे देश के क्रान्तिकारियों तथा स्वयं कांग्रेस के बहुसंख्यक वर्ग को यह उम्मीद थी कि शायद गांधी इरविन समझौते के समय राजनीतिक बंदियों की रिहाई के मुद्दे पर चर्चा के दौरान भगतसिंह, राजगुरू व सुखदेव की फांसी की सजा रद्द करवाने के संबंध में कोई विकल्प पर विचार होगा, लेकिन ऐसा होना तो इस मुद्दे पर सत्य अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी ने इरविन से कोई शब्द तक नहीं बोला, समझौते में लगभग-लगभग नमक सत्याग्रहियों को बंदी माना गया था तथा इनकी ही रिहाई की चर्चा हुई थी, गांधी जी तो इन क्रान्तिकारियों को हिंसाचारी मानकर राजबंदियों की सूची तक में इनका नाम नहीं आने देना चाहते थे। इस संबंध में दुर्गा भाभी द्वारा उनसे की गई गुप्त मुलाकात में उन्होंने स्पष्ट रूप से इन क्रान्तिकारियों के मुद्दे पर गांधी इरविन समझौते के समय चर्चा करने से इन्कार कर दिया था।

जब गांधी इरविन समझौते के दौरान फांसी की सजा पाए इन क्रान्तिकारियों की सजा पर कोई चर्चा नहीं हुई तथा यह जानकर क्रान्तिकारी तीनों बहुत खुश हुए। सुखदेव ने जेल से ही गाँधी जी को इस संबंध में एक धन्यवाद पत्र लिखा था कि "गांधी जी हम क्रान्तिकारियों के नेतृत्व में हमारा झंडा हाथ में लेकर समाजवाद का जयनाद करती हुई भारतीय जनता को आप शीघ्र ही देखेंगे वह महान दिवस निकट भविष्य में आने वाला है, और हां गांधी जी आपको धन्यवाद क्योंकि लाहौर कांड के फांसी की सजा किए गए हम तीनों राजबंदियों को फांसी की सजा देने में ही देश का वास्तविक कल्याण होने वाला है, वास्तव में हमारी सजाओं को बदल देने से देश का उतना कल्याण न होगा जितना हमें फांसी पर लटका देने से होगा।"[10]

इधर भले ही गांधी इरविन समझौते में इन क्रान्तिकारियों की सजा के मुद्दे पर कोई चर्चा न हुई हो लेकिन भारत का जनमानस इस संबंध में गांधी को सुनने के लिए तैयार नहीं था, चारों ओर से बढ़ते दवाव के कारण परोक्ष रूप से गांधी जी के समर्थकों ने इन क्रान्तिकारियों के वकील प्राणनाथ मेहता के माध्यम से दया याचिका भारत के गवर्नर जनरल के समक्ष प्रस्तुत करने का संदेश भिजवाया था, प्राणनाथ मेहता ने भगतसिंह, राजगुरू व सुखदेव को दया याचिका हेतु यह कहकर सहमत करने की कोशिश की कि तुम लोगों के जीवन हमारे देश की मूल्यवान धरोहर हैं; तुम्हारे ऊपर केवल तुम्हारा ही नहीं पूरे देश का अधिकार है, इसलिए देश की जनता का तुम्हें आदर करते हुए वाइसराय के समक्ष दया का प्रार्थना पत्र लिख भेजना चाहिए, परन्तु भगतसिंह ने यह कहकर कि क्रान्ति की सच्ची सेवा मरकर ही कर सकते है, प्राणनाथ के समक्ष अपनी असहमति व्यक्त कर दी।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि भगतसिंह क्रान्ति जिन्दाबाद के नाम पर अपने प्राणों की आहुति (फांसी) देने के लिए दृढ़ थे और इस संबंध में वह फांसी की सजा टालने, बदले जाने जैसे किसी भी अवसर का उपयोग न करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे, उन्होंने अंतिम दिनों में अपने मित्र सहदेव से मुलाकात के समय, उसके इस प्रश्न के उत्तर में कि तुम जो मरने जा रहे हो, कहीं तुम्हें इस बात का दुख तो नहीं हो रहा है, भगतसिंह ने कहा था कि, "क्रान्ति के रास्ते पर जब मैंने कदम रखा था, उसी समय मन ही मन निश्चय किया था कि देश के कोने-कोने में इंकलाव जिंदाबाद का नारा पहुँचाने के लिए अपने जीवन की कुर्बानी करनी पड़ी तो वह मैं करूंगा, सिर्फ कुर्बानी ही नहीं करूंगा, बल्कि मैं तो समझूंगा कि मेरा जीवन कृतार्थ हो गया है, कृतार्थ भावना के साथ फांसी की फंदे पर झूल जाऊंगा, वह मेरा प्यारा सपना था जो आज साकार हुआ है, फांसी की इस कोठरी में लोहे के सीखचों के अंदर बैठकर भी अपने देशवासियों के कंठ से निकला हुआ क्रान्ति जिंदाबाद का जयनाद सुनाई दे रहा है, इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए, मुझे पूरा विश्वास है कि इंकलाब जिंदाबाद का यह नारा आज़ादी की लड़ाई की प्रेरक शक्ति बन जाएगा और साम्राज्यवादी शोषणकर्ता, सत्ताधारियों पर आखिर तक प्रहार करता रहेगा"[11]

यहीं नहीं, सरदार जी को फांसी के अंतिम दिन भी उनकी वहीं मौसेरी बहन जो जलियांवाला बाग नरसंहार में किसी तरह बच गई थीं, ने उन्हें जेल से छुड़ाने की योजना बनाई थी, जिसके लिए जेलर ने गुप्त रूप से छुपकर बाहर ले जाने देने की सहमति भी दी थी, योजना के अनुसार भगतसिंह जी को छुपाकर बाहर ले जाना था, वहां अंकल थॉमसन की गाड़ी जेल के बाहर इंतजार कर रही होगी तथा भगतसिंह को अंकल थॉमसन के आयरिश ड्राइवर की पोशाक पहनकर चंपत होना था। अतः योजना को अमलीजामा पहनाने के क्रम में अंतिम दिन कैदी नं. 14 (सरदार भगतसिंह) को एक संदेशवाहक के माध्यम से चिट्ठी भिजवाई गई, संदेशवाहक ने यह कहते हुए दी कि जवाब लिख दीजिए सब प्रबंध हो जाएगा, चिट्ठी में लिखा था, "सरदार जी आप एक सच्चे इंकलाबी की हैसियत से बताएं कि क्या आप चाहतें हैं कि आपको बचा लिया जाए, इस आखिरी वक्त भी शायद कुछ किया जा सकता है"।[12]

चिट्ठी का उत्तर लिखते हुए भगतसिंह ने लिखा कि मैं इनकार नहीं करता कि एक इंसान की हैसियत से मुझे जीने के प्रति मोह है, लेकिन इस क्षण मुझे जीने के बदले मेरी मौत का अधिक मूल्य है, मेरा नाम हिन्दुस्तानी इंकलाबी पार्टी का निशान बन चुका है तथा पार्टी के आदर्शों तथा बलिदानों ने मुझे बहुत ऊंचा कर दिया है, इतना ऊंचा कि जिंदा रहने की सूरत में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता।[13]

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि भगतसिंह अपने समाजवादी समाज को लोकतांत्रिक किन्तु क्रान्तिमय

ISSN 2395-0552

लोकतांत्रिक बनाना चाहते थे अर्थात जिसमें निरंकुश एवं दमनकारी सत्ताओं को सशस्त्र क्रान्ति द्वारा उखाड़ कर देश में सामंतो, शोषकों, पूंजीपतियों एवं साम्राज्यवादियों के शोषण का अंत करके गरीब मेहनतकश साधारण वर्ग को न केवल आजीविका के बल्कि देश के समस्त उत्पत्ति के साधनों में समान भागीदार बनाना चाहते थे, ताकि यह मेहनतकश वर्ग अन्य लोगों की भांति अपना भी उन्मुक्त विकास कर दुनिया में निर्विघ्न विचरण कर सके।

संदर्भ -

1. जैन पुखराज : भारत का क्रान्तिकारी आन्दोलन, दिल्ली पृ.क्र. 20
2. जोशी मृणालिनी : इंकलाव, प्रभात प्रकाशन, 2005 दिल्ली पृ.क्र. 207
3. जोशी मृणालिनी : वही
4. जोशी मृणालिनी : वही
5. जोशी मृणालिनी : वही
6. जोशी मृणालिनी : वही
7. जोशी मृणालिनी : वही
8. जोशी मृणालिनी : वही
9. भल्ला प्रवीण : शहीदेवतन राजगुरू, चिल्ड्रन टेम्पल, दिल्ली पृ.क्र. 119-122
10. भल्ला प्रवीण : वही
11. जोशी मृणालिनी : इंकलाब, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली 2005 पृ.क्र. 497
12. जोशी मृणालिनी : वही
13. जोशी मृणालिनी : वही